



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2016/पौष 18, 1937

No. 14]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2016/ PAUSA 18, 1937

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2016

मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड की पुनः खरीद

फा. सं. 4(16)- डब्ल्यूएण्डएम/2012. — भारत सरकार एतद्वारा 1.44 प्रतिशत मुद्रास्फीति सूचकांकित सरकारी स्टॉक- 2023 (यहां इसके बाद सरकारी स्टॉक कहा गया है) की पुनः खरीद अधिसूचित करती है।

पुनः खरीद की पद्धति

2. भारत सरकार द्वारा सरकारी स्टॉक की पुनः खरीद प्रतिवर्ती नीलामी द्वारा और विविध मूल्य नीलामी विधि द्वारा एक या अधिक भागों में की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पुनः खरीद/निपटान की तारीख अधिसूचित की जाएगी।

पुनः खरीद की अंकित राशि

3. "1.44 प्रतिशत मुद्रास्फीति सूचकांकित सरकारी स्टॉक 2023" की पुनः खरीद, कुल 6,500 करोड़ रुपए की राशि के लिए होगी।

भुगतान

4. सरकारी स्टॉक की पुनः खरीद के लिए भुगतान, भारत सरकार, सीएएस, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के पास अनुरक्षित नकद शेष से किया जाएगा। इस भुगतान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत सफल भाव- दरो/प्रस्ताव के अंकित मूल्य पर प्रोद्भूत व्याज शामिल होगा। सरकारी स्टॉक की पुनः खरीद, समय पूर्व विधि से की जाएगी और ऐसे मोचित सरकारी स्टॉक पर व्याज प्रोद्भूत नहीं होगा।

सांविधिक प्रावधान

5. ऐसे किसी भी मामले के संबंध में, जिसके लिए इस अधिसूचना के अंतर्गत प्रावधान नहीं किया गया है, सरकारी स्टॉक भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और इसके तहत बनाई गई सरकारी प्रतिभूति विनियमावली, 2007 और भारत सरकार द्वारा जारी पूर्व संगत अधिसूचना (अधिसूचनाओं) द्वारा शासित होगा।

राष्ट्रपति के आदेश से,
प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****(BUDGET DIVISION)****NOTIFICATION**New Delhi, the 8th January, 2016**Repurchase of Inflation Indexed Bond**

F.No.4(16)-W&M/2012:.—The Government of India hereby notifies repurchase of “1.44 per cent Inflation Indexed Government Stock-2023” (hereinafter called the Government Stocks).

Mode of Repurchase

2. The repurchase of the Government Stocks will be undertaken through reverse auction by the Government of India and in one or more tranches by multiple price auction method. The date of repurchase/settlement will be notified by the Reserve Bank of India.

Nominal Amount of Repurchase

3. The repurchase of “1.44 per cent Inflation Indexed Government Stock-2023” will be for an aggregate amount of ₹ 6,500 crore.

Payment

4. The payment for the repurchase of the Government Stocks will be made by the Government of India from its cash balances maintained with the CAS, RBI, Nagpur. Such payment will include the accrued interest on the nominal value of the successful bids/offer accepted by the Reserve Bank of India. The Government Stocks repurchased in the manner will get prematurely redeemed and interest will cease to accrue on such redeemed Government Stocks.

Statutory Provision

5. With respect to any such matter which has not been provided under this notification, the Government Stock shall be governed by the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Regulations, 2007 framed thereunder and the earlier corresponding Notification(s) issued by the Government of India.

By Order of the President of India,
PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.